

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/1073

दिनांक:- 11/2/19

### आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड पंचम/उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम जयपुर के अधीन सेक्टर 22 प्रताप नगर सागानेर जयपुर में 8 स्वतंत्र आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किये जाने के संबंध में बोर्ड बैठक 229.21 दिनांक 27.10.2016 की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा की गई पर निर्देशानुसार का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है,

नीलामी से निस्तारण किये जाने वाले स्वतंत्र आवासों/फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना/शहर	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल
1	प्रताप नगर सेक्टर 22 सागानेर जयपुर	उच्च आय वर्ग	22-J-3, 22-J-4, 22-J-7, 22-L-1, 22-L-25, 22-L-26	6
2	प्रताप नगर सेक्टर 22 सागानेर जयपुर	मध्यम आय वर्ग 'ब'	22-I-6	1
3	प्रताप नगर सेक्टर 22 सागानेर जयपुर	मध्यम आय वर्ग 'अ'	22-N-24	1
कुल योग				8

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उक्त आवास का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें:

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।  
उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 16/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


ह

मुख्य सम्प्रदा प्रबंधक

PT

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्प्रदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0, वृत्त-प्रथम जयपुर। -
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-पंचम, रा0 आ0म0 जयपुर। -
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्प्रदा प्रबंधक

अध्यक्ष-जयपुर